

**'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा—2023' के सापेक्ष अभिलेख
प्रेषण हेतु चैक लिस्ट (Check List)**

अनुक्रमांक :

क्र०सं०	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र	संलग्नक है अथवा नहीं (यदि है तो बाक्स में टिक ✓ करें)
1.	समेकित ऑनलाइन आवेदन पत्र (जिसमें ऑनलाइन वरीयता भी अंकित हो) की प्रति	
2.	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या—02)	
3.	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या—03)	
4.	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या—04)	
5.	हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण—पत्र की प्रति, जिससे जन्मतिथि की पुष्टि की जा सके	
6.	डिप्लोमा/राष्ट्रीय प्रमाण पत्र की प्रति।	
7.	डिप्लोमा/राष्ट्रीय प्रमाण पत्र के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमस्टर की अंक तालिका	
8.	डिप्लोमा में प्राप्त अंको का प्रतिशत (PITCUL/UJVNL हेतु) (यदि लागू हो)	
9.	तीनों ऊर्जा निगमों (पिटकुल/UJVNL/UPCL को सम्मिलित करते हुए) में कार्यरत है। (हॉ/नहीं)	
10.	02 वर्ष का अनुभव (उरेडा में कनिष्ठ अभियन्ता पद के सापेक्ष) (यदि लागू हो)	
11.	अधिमानी अर्हता (जो ऑनलाइन आवेदन में दावित है)– (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण की हो। (ख) नेशनल कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र। (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना का “सी” प्रमाण—पत्र। (घ) सिविल/यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण में स्नातक उपाधि। (ङ) नेशनल कैडेट कोर का “सी” प्रमाण—पत्र। (च) प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।	
12.	SC/ST/OBC/EWS आरक्षण संबंधी सक्षम स्तर से जारी प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो)।	

13.	<p>(क) पूर्व सैनिकों हेतु डिस्चार्ज प्रमाण—पत्र। (यदि लागू हो)</p> <p>(ख) इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) मूल रूप में कि पूर्व में पूर्व—सैनिक के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं हुये हैं। (यदि लागू हो)।</p> <p>(ग) डिस्चार्ज प्रमाण—पत्र के साथ शासनादेश संख्या : 277 दिनांक 13.09.2021 के अनुसार पूर्व नियोक्ता को प्रेषित स्वघोषणा की छायाप्रति। (यदि लागू हो)।</p>	
14.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो)।	
15.	अनाथ बच्चों हेतु प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो)	
16.	दिव्यांगों हेतु विकलांगता प्रमाण—पत्र, जिसमें दिव्यांगता की उपश्रेणियों का स्पष्ट उल्लेख हो। (यदि लागू हो)	
17.	स्थायी निवास प्रमाण—पत्र (यदि लागू हो)	
18.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार/ लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र या सेवायोजक को अनापत्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र (यदि लागू हो)।	
19.	अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति (वैवाहिक होने की स्थिति में) के नाम विभिन्न प्रमाण—पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा। (आयोग के निर्धारित प्रारूप पर)	
20.	"समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन—पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/ प्रमाण—पत्र,	
(i)	Registration in any District Employment Office located in Uttarakhand State. (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित जिला सेवायोजन विभाग द्वारा जारी सेवायोजन प्रमाण—पत्र)	
(ii)	Are you employed? (उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवा हेतु सेवायोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र)	
(iii)	Have you passed your High School and Intermediate or any other equivalent Exams from any recognized Institution situated in the State of Uttarakhand. (उत्तराखण्ड राज्य में स्थिति संस्था से धारित हाईस्कूल एवं इंटर प्रमाण—पत्र)	
(iv)	Are you or your spouse or your parents regular employee of the armed forces/para military forces OR State Goverment/semi Government Organization OR Central Government Organization/ Central Government Public Service Undertaking serving in the State of Uttarakhand and whose Services cannot be transferred outside the State of Uttarakhand. (सेवायोजक	

	से इस आशय का प्रमाण—पत्र कि सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थानांतरणीय नहीं है।)	
(v)	Are you OR your spouse/parents permanent resident of Uttarakhand, but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes. (उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण—पत्र एवं उत्तराखण्ड राज्य से अन्य राज्यों में आजीविका एवं शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से रहने का स्वघोषणा पत्र)	
21.	अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा—आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
22.	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्र संख्या—02, 03 एवं 04 में लगे फोटो के अतिरिक्त)	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा० आयोग अंक—तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण—पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक—तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण—पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण—पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण—पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/ई०डब्लू०एस० आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण—पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 03 नवम्बर, 2023 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या—310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ०बी०सी० प्रमाण—पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

नोट—अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या—02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या—03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या—04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(अभ्यर्थी का नाम.....हस्ताक्षर.....)
अनुक्रमांक.....